



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032026-270658
CG-DL-E-05032026-270658

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2026/फाल्गुन 11, 1947

No. 147]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2026/PHALGUNA 11, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2026

सा.का.नि. 153(अ).—केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा 1 द्वारा यथाअपेक्षित टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022 का प्रारूप, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपधारा (1) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 755(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2025 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, ऐसी तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्गलित करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवाई गई थीं, तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 16 अक्टूबर, 2025 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

और, उक्त प्रारूप स्कीम के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जा चुका है;

अतः, इसलिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 161 और धारा 215 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को लागू होगा।

2. टक्कर मानकर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 2 में,-

(क) पैरा 2 को उप-पैरा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(ख) उप-पैरा (1) के खंड (ख), (ग) और (घ) जिन्हें इस प्रकार पुनः संख्यांकित किया गया है, का लोप किया जाएगा;

(ग) उप-पैरा (1) के खंड (छ) के स्थान पर, जैसा कि पुनः संख्यांकित किया गया है, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

‘(छ) "जिला सड़क सुरक्षा समिति" से अधिनियम की धारा 215 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;’

(घ) उप-पैरा (1) के खंड (ज) के पश्चात्, जैसा कि पुनः संख्यांकित किया गया है, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

‘(छक) "निधि" से केंद्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियम, 2022 के नियम 2 के उप-नियम (ख) में यथापरिभाषित मोटर यान दुर्घटना निधि अभिप्रेत है;’

‘(छख) "जीआई परिषद" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64ग के अधीन गठित साधारण बीमा परिषद अभिप्रेत है;’

(ङ) उप-पैरा (1) के खंड (ज) को इस प्रकार पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(च) उप-पैरा (1) के खंड (ज) के पश्चात्, जैसा कि पुनः संख्यांकित किया गया है, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

‘(जक) "पोर्टल" से इस स्कीम के प्रयोजन के लिए साधारण बीमा परिषद द्वारा विकसित और प्रबंधित वेब या इलेक्ट्रॉनिक आधारित प्रणाली अभिप्रेत है;’

(छ) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-पैरा (1) के खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

‘(ड) "राज्य सड़क सुरक्षा परिषद" से यथास्थिति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए अधिनियम की धारा 215 की उपधारा (2) के अधीन गठित परिषद अभिप्रेत है।’

(ज) इस प्रकार पुनः संख्यांकित खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) इस स्कीम में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, तथा अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें क्रमशः दिया गया है।"

3. उक्त स्कीम में, पैरा 3 के, उप-पैरा (1) में, -

(क) खंड (घ) में, "साधारण बीमा" शब्द के स्थान पर "जीआई" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (i) में, "साधारण बीमा" शब्द के स्थान पर "जीआई" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (ज) में, "निदेशक" शब्द के स्थान पर "उप सचिव की पंक्ति से नीचे का अधिकारी न हो" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त स्कीम में, पैरा 5 में,

(क) खंड (क) में, "साधारण बीमा" शब्दों के स्थान पर "जीआई" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) पैरा 13क के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करना और स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों को मार्गदर्शन या निदेश प्रदान करना, जिसमें धोखाधड़ी की रोकथाम भी शामिल है, जहां भी आवश्यक हो;”;

(ग) खंड (घ) का लोप किया जाएगा;

(घ) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ङ) मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यदि समुचित समझा जाए, तो इस स्कीम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अधिनियम की धारा 161 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन समुचित कार्रवाई करने हेतु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को सिफारिशें करना।"

5. उक्त स्कीम में पैरा 11 और 12 का लोप किया जाएगा।

6. उक्त स्कीम में पैरा 13 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्:

"13. जिला सड़क सुरक्षा समिति की शक्तियां और कृत्य.- (1) जिला सड़क सुरक्षा समिति जिला स्तर पर इस स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित निम्नलिखित कृत्य करेगी, अर्थात्: -

(क) संबंधित जिले में इस स्कीम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना और जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कदम उठाना;

(ख) संबंधित जिले में प्राप्त, अधिनिर्णित या लंबित दावा आवेदनों और लंबन के कारणों के बारे में मास-वार आंकड़े, इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप सहित, अनुरक्षित करना;

(ग) जिले के अन्य प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस स्कीम का पर्याप्त प्रचार हो सके;

(घ) जहां भी आवश्यक हो, दावेदारों को मार्गदर्शन प्रदान करना;

(ङ) दावेदारों को उपलब्ध अधिकारों और इस स्कीम के अधीन प्रतिकर के उपबंध के बारे में जागरूकता बढ़ाना; और

(च) पैरा 13क के अधीन विनिर्दिष्ट अभिकरण या प्राधिकरण को इस स्कीम के संबंध में जानकारी प्रदान करना।

(2) संबंधित दावा जांच अधिकारी और इस स्कीम के पैरा 19 के अधीन नामनिर्दिष्ट अधिकारी को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है जब भी उप-पैरा (1) में दिए गए कृत्य किए जाते हैं।

13क. राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की शक्तियां और कृत्य.- (1) राज्य सड़क सुरक्षा परिषद या राज्य सरकार द्वारा अभिहित प्राधिकरण यथास्थिति, संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इस स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित निम्नलिखित कृत्य कर सकता है, अर्थात्, -

(क) इस स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करना और जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कदम उठाना;

(ख) प्राप्त, अधिनिर्णित, लंबित और लंबन के कारणों से संबंधित दावा आवेदनों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में मास-वार आंकड़ों की समीक्षा करना;

(ग) इस स्कीम के कार्यान्वयन में सुधार के लिए संबंधित जिला अधिकारियों को निदेश जारी करना;

(घ) इस स्कीम के संबंध में केन्द्रीय सरकार या स्थायी समिति को सूचना प्रस्तुत करना या कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे उठाना।"

7. उक्त स्कीम में पैरा 14, 15, 16, 17 और 18 का लोप किया जाएगा।

8. उक्त स्कीम में, पैरा 19 में, "साधारण बीमा" शब्दों के स्थान पर "जीआई" शब्द रखे जाएंगे।

9. उक्त स्कीम में, पैरा 20 में, उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(1) आवेदक इस स्कीम के अधीन प्रतिकर की मांग करते हुए प्ररूप-1 में एक आवेदन, प्ररूप-4 में एक वचन पत्र और प्ररूप-1 में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के साथ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित, उस उपमंडल या तालुका के दावा जांच अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसमें दुर्घटना हुई थी।"

10. उक्त स्कीम में, पैरा 21 में, -

(क) उप-पैरा (2) में, खंड (ख) में, "दावा निपटान आयुक्त" शब्दों के पश्चात्, "पोर्टल पर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-पैरा (3) में, "रिपोर्ट 15 दिन के भीतर" शब्दों के पश्चात्, "पोर्टल पर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

11. उक्त स्कीम में, पैरा 22 में, -

(क) उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:

"(1) दावा जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, दावा निपटान आयुक्त यथासंभव, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के भीतर दावे को स्वीकृत करेगा और स्वीकृति आदेश प्ररूप-3 में, केन्द्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियम, 2022 के नियम 4 के अधीन गठित न्यास द्वारा प्रशासित निधि के टककर मारकर

भागना प्रतिकर खाते से संदाय हेतु, पोर्टल के माध्यम से भी, जीआई परिषद को सूचित करेगा, जिसकी एक प्रति निम्नलिखित को भी भेजी जाएगी: -

- (क) दावा जांच अधिकारी;
- (ख) दावेदार;
- (ग) संबद्ध मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण;
- (घ) संबद्ध परिवहन आयुक्त;
- (ङ) जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य-सचिव।

(ख) उप-पैरा (2) और उसके परंतुकों का लोप किया जाएगा।

12. उक्त स्कीम में, पैरा 23 में, -

(क) उप-पैरा (2) में, "उपहित व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति घायल व्यक्ति या मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को, यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से असंबंधित कारणों से होती है, दावा जांच अधिकारी द्वारा तय किया गया हो" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप-पैरा (3) में,-

(i) "साधारण बीमा परिषद् (जीआईसी)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "जीआईसी परिषद्" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) शब्द "और दावाकर्ता के प्ररूपों और दस्तावेजों," का लोप किया जाएगा।

(iii) उप-पैरा (4) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु और यह कि, यदि उप-पैरा (3) के अधीन संदाय करने के लिए दावेदार द्वारा दी गई जानकारी में कोई कमी पाई जाती है, जिसमें बैंक खाता विवरण भी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, तो जी.आई. परिषद, संबंधित दावा निपटान आयुक्त के समन्वय से, इस उप-पैरा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दावेदार से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकती है।"

13. उक्त स्कीम में, पैरा 24 में, "साधारण बीमा" शब्दों के स्थान पर "जीआई" शब्द रखे जाएंगे।

14. उक्त स्कीम में, "प्ररूप 1" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप 1

[पैरा 20 (1)]

टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022

आवेदन प्ररूप

गंभीर चोट के मामले में:

1. मैं,.....पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी.....निवासी.....तारीख.....
को..... पर हुई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर, केंद्रीय सरकार के मोटर यान दुर्घटना निधि से प्रतिकर की मांग करते हुए आवेदन करता हूं। मेरी चोट से संबंधित आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:-

गंभीर चोट के मामले में (विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से):

मैं,.....पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी.....निवासी.....
, का कानूनी प्रतिनिधि..... पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी..... होने के नाते तारीख.....
को..... पर हुई टक्कर मारकर भागना मोटर वाहन दुर्घटना में, जहाँ मैं रहता/रहती हूँ, जो गंभीर रूप से

घायल हो गया/गई और दुर्घटना से असंबंधित किसी अन्य कारण से मृत्यु हो गई, और मैं केन्द्रीय सरकार के मोटर यान दुर्घटना निधि से प्रतिकर के लिए आवेदन करता/करती हूँ। मुझे लगी चोटों से संबंधित आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:

मौत के मामले के लिए

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी.....निवासी.....,
..... पुत्री/पति/पत्नी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में, पर स्थित अपने निवास स्थान पर हुई टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना में मृतक/मृतक को हुई चोटों के लिए मोटर वाहन दुर्घटना कोष से प्रतिकर की प्राप्ति हेतु आवेदन करता/करती हूँ।

दुर्घटना से संबंधित आवश्यक विवरण और अन्य जानकारी नीचे दी गई है:-

1. घायल/मृत व्यक्ति का नाम और पिता का नाम (विवाहित महिला या विधवा के मामले में पति का नाम)...
- (घायल/मृत पीड़ित के पहचान पत्र की प्रति संलग्न करें)
2. घायल/मृत व्यक्ति का पता...
3. घायल/मृत व्यक्ति की जन्म की तारीख.....
4. घायल/मृत व्यक्ति का लिंग...
5. गंभीर चोट लगने की स्थिति में दावेदार का आधार नंबर या मृत्यु होने की स्थिति में विधिक प्रतिनिधि का आधार नंबर...
- (दावेदार के पहचान प्रमाण की एक प्रति संलग्न करें)
6. दावेदार का संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी)...
7. पीड़ित व्यक्ति/मृतक के विधिक प्रतिनिधि के बैंक खाते का विवरण.....
- (i) बैंक का नाम:
- (ii) खाता संख्या:
- (iii) आईएफएससी:
- (iv) दावेदारों की बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट की प्रति, जिसमें बैंक का नाम, IFSC, शाखा आदि का विवरण दिया गया हो।
8. दुर्घटना का स्थान, तारीख और समय.....
- (एफआईआर की प्रति संलग्न करें)
9. प्राप्त चोटों की प्रकृति.....
- (पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट/चोट रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें)
10. पीड़ित की मृत्यु के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
11. उस पुलिस स्टेशन का नाम और पता जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई या दर्ज की गई...

12. घायल/मृत व्यक्ति का उपचार करने वाले अस्पताल/चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक का नाम और पता...

13. दावेदार/दावेदारों का नाम और पता:

14. मृतक के साथ संबंध:

15. दावे के निपटान में आवश्यक या सहायक समझी जाने वाली कोई अन्य जानकारी:

मैं शपथपूर्वक पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर उल्लिखित सभी तथ्य मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

तारीख:

स्थान :

दावेदार के ई-हस्ताक्षर/हस्ताक्षर

*जो भी लागू न हो उसे काट दें।

.....
कार्यालय के उपयोग हेतु

आवेदन सं.

.....का मोटर वाहन दुर्घटना निधि से प्रतिकर के लिए आवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो गया है।

तारीख:

दावा जांच अधिकारी के हस्ताक्षर।

15. उक्त स्कीम में, प्ररूप 2 में,-

(क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022 दावा जांच रिपोर्ट";

(ख) शीर्षक के पश्चात्, दाहिनी ओर, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"आवेदन सं.";

(ग) क्रमांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"1क. दावेदार का संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी).";

(घ) क्रमांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"2क. इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ईडीएआर) पीड़ित आईडी:"

(ङ) क्रमांक 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

16. उक्त स्कीम में प्ररूप 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:

"प्ररूप 3

[पैरा 22 (1)]

टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022

स्वीकृति आदेश

क्रमांक.....

दावा निपटान आयुक्त

ज़िला..

सेवा में,

साधारण बीमा परिषद

के निमित्त

मोटर यान दुर्घटना निधि न्यास

गंभीर चोट के मामले में:

मैं.....एतद्वारा(घायल का नाम)/मृतक के विधिक प्रतिनिधि..... (मृतक के विधिक प्रतिनिधि का नाम) को टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना में हुई गंभीर चोट के प्रतिकर के रूप में(केवल रुपये) स्वीकृत करता/करती हूँ, जो कि(तारीख) को(स्थान का नाम) में घटी थी।

मौत के मामले के लिए:

मैं.....एतद्वारा..... मृतक के विधिक प्रतिनिधि(मृतक के विधिक प्रतिनिधि का नाम) को (मृतक का नाम) के प्रतिकर के रूप मेंरु. (केवल रुपये) स्वीकृत करता/करती हूँ, जो कि (स्थान का नाम) पर(दिनांक) को टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु के लिए है।

दावे का विवरण इस प्रकार है:

1. आवेदन संख्या.....
2. आवेदन की तारीख.....
3. दावा जांच रिपोर्ट की तारीख....
4. एफआईआर संख्या....
5. ईडीएआर विक्टिम आईडी....
6. बैंक विवरण:
 - (i) बैंक का नाम....
 - (ii) खाता संख्या....

(iii) आईएफएससी...

तारीख.....

दावा निपटान आयुक्त
के हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रति :

1. दावेदार
2. दावा जांच अधिकारी
3. संबद्ध मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
4. जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य-सचिव।

[फा.सं. आरटी-11014/37/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 163(अ), तारीख 25 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2026

G.S.R. 153(E).—Whereas, the draft Scheme to amend the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022, were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, *vide* number G.S.R. 755(E), dated the 14th October, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification, was made available to the public on 16th October, 2025;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft Scheme have been considered by Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 161 and sub-section (4) of section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following Scheme, to amend the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) This Scheme may be called as the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents (Amendment) Scheme, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2022 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 2,—

(a) the paragraph 2 shall be renumbered as sub-paragraph (1);

(b) clauses (b), (c) and (d) of sub-paragraph (1) as so renumbered shall be omitted;

(c) for clause (g) of sub-paragraph (1) as so renumbered, the following clause shall be substituted, namely:—

- ‘(g) “District Road Safety Committee” means a Committee set up under sub-section (3) of section 215 of the Act;’;
- (d) after clause (h) of sub-paragraph (1) as so renumbered, the following clauses shall be inserted, namely:—
- ‘(ha) “Fund” means the Motor Vehicle Accident Fund as defined in sub-rule (b) of rule 2 of the Central Motor Vehicles (Motor Vehicle Accident Fund) Rules, 2022;
- ‘(hb) “GI Council” means the General Insurance Council constituted under section 64C of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);’
- (e) clauses (j) of sub-paragraph (1) as so renumbered shall be omitted;
- (f) after clause (j) of sub-paragraph (1) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely: —
- ‘(ja) “portal” means a web or electronic based system developed and managed by the General Insurance Council for the purpose of this scheme;’;
- (g) after clause (l) of sub-paragraph (1) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely, —
- ‘(m) “State Road Safety Council” means the Council for a State or Union territory, as the case may be, constituted under sub-section (2) of section 215 of the Act.’;
- (h) After clause (1) as so renumbered, following clause shall be inserted, namely, —
- “(2) Words and expressions used in this Scheme but not defined herein, and defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.”
3. In the said Scheme, in paragraph 3, in sub-paragraph (1), —
- (a) in clause (d), for the word “General Insurance”, the word “GI” shall be substituted;
- (b) in clause (i), for the word “General Insurance”, the word “GI” shall be substituted;
- (c) in clause (h), for the word “Director”, the words “an officer not below the rank of Deputy Secretary” shall be substituted.
4. In the said Scheme, in paragraph 5, —
- (a) in clause (a), for the words “General Insurance”, the word “GI” shall be substituted;
- (b) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely, —
- “(b) consider the issues raised by the authority specified under paragraph 13A and provide guidance or directions to concerned officials responsible for implementation of the scheme, including on prevention of fraud, wherever called for;”;
- (c) clause (d) shall be omitted;
- (d) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely: —
- “(e) having regards to the circumstances of the case, if deemed appropriate, make recommendations to the Central Government or State Government for taking appropriate action under clause (b) of sub-section (4) of section 161 of the Act for contravention of provisions of this scheme.”.
5. In the said Scheme, paragraphs 11 and 12 shall be omitted.
6. In the said Scheme, for paragraph 13, the following paragraphs shall be substituted, namely: —
- “13. Powers and functions of the District Road Safety Committee.—**(1) The District Road Safety Committee shall undertake following functions connected with the implementation of this scheme at the District Level, namely: —
- (a) evaluate the implementation of this scheme in the concerned District and take corrective steps, wherever necessary;
- (b) maintain month-wise statistics, including in electronic form, about the claim applications received, awarded or pending and reasons for pendency in the concerned District;
- (c) keep close liaison with other authorities in the district so as to ensure that this scheme gets adequate publicity;
- (d) provide guidance to claimants, wherever called for;
- (e) raise awareness about the rights available to claimants and the provision of compensation under this scheme; and
- (f) furnish information in respect of this scheme to the agency or authority specified under paragraph 13A.

(2) The concerned Claims Enquiry Officer and the officer nominated under paragraph 19 of this scheme may be invited in the meetings of the District Road Safety Committee whenever the functions provided in sub-paragraph (1) are undertaken.

13A. Powers and Functions of the State Road Safety Council.- (1) The State Road Safety Council or authority as may be designated by the State Government may undertake following functions connected with the implementation of this scheme in the concerned State or Union territory, as the case may be, namely, —

- (a) evaluate the progress of implementation of this scheme and take corrective steps, wherever necessary;
- (b) review month-wise statistics, including in electronic form, about the claim applications received, awarded, pending and reasons for pendency;
- (c) issue directions to concerned district authorities for improving the implementation of this scheme;
- (d) furnish information or raise implementation related issue to the Central Government or Standing Committee in respect of this scheme.”.

7. In the said Scheme, paragraphs 14, 15, 16, 17 and 18 shall be omitted.

8. In the said Scheme, in paragraph 19, for the words “General Insurance”, the word “GI” shall be substituted.

9. In the said Scheme, in paragraph 20, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(1) The applicant shall submit an application seeking compensation under this scheme in Form I, along with an undertaking in Form IV, and such other documents mentioned in Form I, including through electronic means, to the Claims Enquiry Officer of the Sub-Division or Taluka in which the accident took place.”.

10. In the said Scheme, in paragraph 21, —

(a) in sub-paragraph (2), in clause (b), after the words “Claims Settlement Commissioner”, the words “on the portal” shall be inserted;

(b) in sub-paragraph (3), after the words “report to the Claims Enquiry Officer”, the words “on the portal” shall be inserted.

11. In the said Scheme, in paragraph 22, —

(a) for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(1) On receipt of report of the Claims Enquiry Officer, the Claims Settlement Commissioner shall sanction the claim, as far as possible, within a period not exceeding fifteen days from the date of receipt of such report and communicate the sanction order in Form III, to the GI Council, including through the portal, for payment from the Hit and Run Compensation Account of the Fund administered by the Trust constituted under rule 4 of the Central Motor Vehicles (Motor Vehicle Accident Fund) Rules, 2022, with a copy to the following: —

- (a) the Claims Enquiry Officer;
- (b) the claimant;
- (c) the concerned Motor Accident Claim Tribunal;
- (d) the concerned Transport Commissioner;
- (e) Member-Secretary, District Road Safety Committee.”.

(b) sub-paragraph (2) and the provisos thereto shall be omitted.

12. In the said Scheme, in paragraph 23, —

(a) in sub-paragraph (2), after the words “person injured”, the words “or to the legal representatives of the deceased decided by the Claims Enquiry Officer in case such person dies due to causes unrelated to the accident, as the case may be” shall be inserted.

(b) in sub-paragraph (3), —

(i) for the words and brackets “General Insurance Council (GIC)”, the words “GI Council” shall be substituted;

(ii) words “and the Forms and documents from claimant,” shall be omitted.

(iii) in sub-paragraph (4), after the proviso, following proviso shall be inserted, namely, —

"Provided further that in case of any deficiency in the particulars furnished by the claimant necessary for making the payment under sub-paragraph (3), including but not limited to bank account details, the GI Council, in coordination with the concerned Claim Settlement Commissioner, may, within the period specified in this sub-paragraph, seek the necessary information from the claimant."

13. In the said Scheme, in paragraph 24, for the words "General Insurance", the word "GI" shall be substituted.

14. In the said Scheme, for "Form I", the following Form shall be substituted, namely: —

"FORM I

[Paragraph 20 (1)]

COMPENSATION TO VICTIMS OF HIT AND RUN MOTOR ACCIDENTS SCHEME, 2022

Application Form

For grievous hurt case:*

I,son / daughter / spouse of residing at having been grievously injured in hit and run motor vehicle accident on athereby apply for grant of compensation for the grievous injuries sustained from the Central Government's Motor Vehicle Accident Fund. Necessary particulars in respect of the injury sustained by me are given below:-

For grievous hurt case (through legal representative):*

I,son / daughter / spouse of residing at as a legal representative of son / daughter / spouse of..... who sustained grievous injuries in hit and run motor vehicle accident on atand died due to cause unrelated to the accident, hereby apply for grant of compensation from the Central Government's Motor Vehicle Accident Fund. Necessary particulars in respect of the injury sustained by me are given below:

For death case:

I,son / daughter / spouse of..... residing at, as a legal representative of son / daughter / spouse of..... who died / had sustained injuries in hit and run motor vehicle accident on at, hereby apply for the grant of compensation on account of death/injuries from the Motor Vehicle Accident Fund. Necessary particulars in respect of accident and other information are given below:-

1. Name and father's name of person injured / dead (husband's name in case of married woman or widow)....

(attach copy of the ID proof of the victim, who is injured/dead)

2. Address of the person injured / dead....

3. Date of Birth of the person injured / dead

4. Gender of the person injured / dead....

5. Aadhaar Number of the claimant in case of grievous hurt or of legal representative in case of death....

(attach a copy of ID proof of the claimant)

6. Contact details of the claimant (mobile number, email ID)....

7. Bank account details of the person injured / legal representative of the deceased.....

(i) Name of bank:

(ii) Account number:

(iii) IFSC:

(iv) Copy of Bank Passbook / Bank Statement of the claimants, which gives details regarding the name of the bank, IFSC, branch, etc.

8. Place, date and time of the accident.....

(attach copy of FIR)

9. Nature of injuries sustained.....

(attach copy of Post Mortem Report/Injury Report)

10. Copy of Death Certificate on account of death of victim

11. Name and address of Police Station in whose jurisdiction accident took place or was registered...

12. Name and address of the Hospital/Medical Officer/Practitioner who attended on the injured/dead...

13. Name and address of the claimant/claimants:

14. Relationship with the deceased:

15. Any other information that may be considered necessary or helpful in the disposal of the claim:

I hereby swear and affirm that all the facts noted above are true to the best of my knowledge and belief.

Date:

Place:

e-signature / signature of the claimant

*Strike out whichever is not applicable.

OFFICE USE

Application No.....

The application of for compensation from Motor Vehicle Accident Fund has been received by the undersigned.

Date:

Signature of the Claims Enquiry Officer".

15. In the said Scheme, in Form II, -

(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

“COMPENSATION TO VICTIMS OF HIT AND RUN MOTOR ACCIDENTS SCHEME, 2022

Claim Enquiry Report”;

(b) after the heading, on the right-hand side, the following shall be inserted, namely,—

“Application No.....”;

(c) after serial number 1 and entries relating thereto the following serial number and entry shall be inserted, namely:—

“1A. Contact details of the claimant (mobile number, email ID):”;

(d) after serial number 2 and entries relating thereto the following serial number and entry shall be inserted, namely:—

“2A. Electronic Detailed Accident Report (eDAR) Victim ID:”;

(e) serial number 8 and the entries relating thereto shall be omitted.

16. In the said Scheme, for Form III, the following Form shall be substituted, namely: —

“FORM III

[Paragraph 22 (1)]

COMPENSATION TO VICTIMS OF HIT AND RUN MOTOR ACCIDENTS SCHEME, 2022

Sanction Order

Serial No.....

Claims Settlement Commissioner

District.....

To,

General Insurance Council

On behalf of

Motor Vehicle Accident Fund Trust

For grievous hurt case:

I hereby sanction Rs. (Rupeesonly) to (name of the injured)/ to the legal representative (name of legal representative of deceased), as compensation for grievous hurt resulting from hit and run motor accident which took place at.....(Name of place) on.....(Date).

For death case:

I hereby sanction Rs. (Rupeesonly) to the legal representative (name of legal representative of deceased) of (name of deceased) as compensation in respect of the death resulting from hit and run motor accident which took place at.....(name of place) on.....(Date).

The particulars of the claim are as follows:

1. Application No.....
2. Date of application.....
3. Date of Claims Enquiry Report.....
4. FIR No....
5. eDAR Victim ID....
6. Bank details:
 - (i) Name of bank....
 - (ii) Account number....
 - (iii) IFSC...

Date.....

*Signature and seal of the**Claims Settlement Commissioner*

Copy to:

1. Claimant
2. Claims Enquiry Officer
3. The concerned Motor Accident Claims Tribunal
4. Member-Secretary, District Road Safety Committee”.

[F.No. RT-11014/37/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 163(E), dated the 25th February,